जनपद - संतकबीरनगर   प्रेस विज्ञप्ति   दिनाँक 01.05.2025

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 04 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना महुली पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी 3316 द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को भेजवाया गया अस्पताल- कालर ने बोलेरो और बाइक में ठोकर लगने से बाइक सवार घायल 01 व्यक्ति (1. नागेन्द्र पुत्र जेठू ग्राम रानीपुर थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायल व्यक्ति को ईलाज हेतु 108 एम्बुलेंस की सहायता से सीएचसी मेंहदावल भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना बखिरा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर घायल व्यक्ति को ईलाज हेतु सीएचसी मेंहदावल भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ- आ0 कन्हैया लाल, हो0चा0 रामकेश यादव।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 113 वाहनों से 1,24,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 01.05.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 113 वाहनों से 1,24,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 10 गुण्डा एक्ट में जिलाबदर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, जिला बदर आदेश का उल्लंघन कर लुक छिप कर जनपद में कर रहा था निवास

आज दिनांक 01.05.2025 को पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सत्यजीत गुप्ता* के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय*** के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना धनघटा *श्री रामकृष्ण मिश्र* के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति / वाहन व गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर 10 गुण्डा एक्ट में वांछित व जिलाबदर घोषित किए गये अभियुक्त नाम पता रामअशीष यादव पुत्र जोखन निवासी सिसवा थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को जनपदीय सीमा के अन्तर्गत उसके घर से जिलाबदर अवधि का उल्लंघन करते हुए गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया। उक्त गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 189/2025 धारा 10 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 पंजीकृत किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त को जिला प्रशासन द्वारा छः माह की अवधि के लिए जनपद सन्तकबीरनगर से जिलाबदर का आदेश दिया गया था। अभियुक्त को इस आदेश का तामिला भी आदेशोपरान्त करवा दिया गया था, उसके उपरान्त भी अभियुक्त जनपद की सीमा में लुक छिप कर निवास कर रहा था। जिलाबदर आदेश के उल्लंघन के क्रम में थाना धनघटा पुलिस द्वारा उक्त अभियुक्त को आज दिनांक 01.05.2025 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार नायक, हे0का0 मैनेजर प्रसाद, का0 अनिल प्रसाद।

थाना महुली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए चोरी की 02 अदद मोटरसाइकिल, 02 अदद मोबाइल फोन व 200 रु0 के साथ 02 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय*** के निकट पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के दौरान जनपद में चोरी जैसी घटनाओं के सफल अनावरण हेतु थानाध्यक्ष महुली *श्री रजनीश राय* के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 121/2025 अन्तर्गत धारा 317(2),317(4),318(4),338,336(3),340(2) BNS में वांछित 02 अभियुक्त क्रमशः 01. अजय चौहान पुत्र अम्बिका चौहान साकिन कालीजगदीशपुर (मोहरईया) थाना महुली संतकबीरनगर 02.रोहित बढ़ई पुत्र हरिश्चन्द्र बढ़ई साकिन मुखलिसपुर थाना महुली जिला संतकबीरनगर को **02 अदद मोटरसाइकिल, 02 अदद मोबाइल फोन व 200 रु0 (जमा तलाशी)** के साथ चन्द्रौटी जाने वाले मार्ग से गिरफ्तार कर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) भादवि की बढ़ोत्तरी करते हुए माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

<u>*गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण</u> -*

1. अजय चौहान पुत्र अम्बिका चौहान साकिन कालीजगदीशपुर (मोहरईया) थाना महुली संतकबीरनगर।

2.रोहित बढ़ई पुत्र हरिश्चन्द्र बढ़ई साकिन मुखलिसपुर थाना महुली जिला संतकबीरनगर।

<u>*बरामदगी का विवरण</u> –*

1. मोटरसाइकिल एचएफ डिलक्स UP42BF 7640 (चेचिस नम्बर- MBLHAW145M9F07615, इंजन नम्बर HA11ESM9F08737)
2. मोटरसाइकिल स्पेलेन्डर प्लस UP58S9104 (चेचिस नम्बर MBLHA10CGGHH55315, इंजन नम्बर HA10ERGHH86936)

पूछताछ विवरणः- गिरफ्तार किये गये अभियुक्तों से पूछताछ की गयी तो बताये कि हीरो स्पलेन्डर प्लस मोटरसाइकिल हम दोनों मिलकर करीब 15 दिन पहले दोघरा चौराहा थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर से बारात में से चोरी किये थे तथा दुसरे मोटरसाइकिल हिरो एच0 एफ0 डीलक्स को करीब 7 से 8 माह पहले कैण्ट जनपद अयोध्या से चोरी किये थे। इस पर लगा नम्बर प्लेट फर्जी है हम दोनों लोग दोनो गाडियो को बेचने के लिए ग्राहक ढूंढ़ रहे है कि आप लोगो ने पकड़ लिया यह दोनो गाडियाँ चोरी की है तथा हम दोनों लोग बेरोजगार हैं तथा चोरी करके अपने व अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। हम लोगो पर पहले से कई मुकदमे है, जीवन यापन व मुकदमो के खर्चे के लिए चोरी की घटनाएं करते है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 121/2025 अन्तर्गत धारा 317(2),317(4),318(4),338,336(3),340(2) बीएनएस थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।

<u>*आपराधिक इतिहास*</u>

अभियुक्त अजय चौहान पुत्र अम्बिका चौहान साकिन कालीजगदीशपुर (मोहरईया) थाना महुली संतकबीरनगर।

1. मु0अ0सं0 180/2022 धारा 379,411 भादवि थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।
2. मु0अ0सं0 188/2022 धारा 380, 411 भादवि थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।
3. मु0अ0सं0 244/2022 धारा 3(1) उ0 प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधि01986 थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।
4. मु0अ0सं0 263/2020 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।
5. मु0अ0सं0 267/2023 धारा 147,148,149,323,352,504,506 भादवि व अपराधिक कानून संसोधन अधि0 7 थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।
6. मु0अ0सं0 268/2023 धारा 147,148,149,307,332,353,427,504, 506 भादवि व अपराधिक कानून संसोधन अधि0 7 थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।
7. मु0अ0सं0 288/2020 धारा 380 भादवि थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण

उ0नि0 वीरेन्द्र मिश्र, उ0नि0 अभिमन्यु सिंह चौकी प्रभारी शनिचरा बाबू, उ0नि0 अमित कुमार चौकी प्रभारी कालीजगदीशपुर, हे0का0 ज्ञानचन्द यादव, हे0का0 जुबेर अली, हे0का0 श्रीकान्त यादव, का0 अमरजीत यादव।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय*** के पर्यवेक्षण में आज दिनांक 01.05.2025 को प्रभारी निरीक्षक थाना धनघटा *श्री रामकृष्ण मिश्र* के नेतृत्व मे गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 82/ 2025 धारा (b)(17)/3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त हसन मुहम्मद उर्फ हसनु पुत्र अलाहू उर्फ खालिक निवासी बलही थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को मुडाडीहा चौहाहे से विधिक नियमों का पालन करते हुये गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण
हसन मुहम्मद उर्फ हसनु पुत्र अलाहू उर्फ खालिक निवासी बलही थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।
आपराधिक इतिहासः-
1- मु0अ0स0 348/2023 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधिनियम थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।
***गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम*-** प्रभारी निरीक्षक श्री रामकृष्ण मिश्र, हे0का0 प्रमोद राय, का0 सत्यम सिंह, का0 गौरव चौहान।

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे *"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप पाक्सो एक्ट के मामलें में अभियुक्त को 03 वर्ष के सश्रम कारावास व 2000 रू0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे **"ऑपरेशन कनविक्शन"** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 01.05.2025 को ***माननीय न्यायालय ए0एस0जे/एस0पी0जे0/पाक्सो एक्ट जनपद संतकबीरनगर*** के द्वारा 01 अभियुक्त को 03 वर्ष के सश्रम कारावास व 2,000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरणः- मु0अ0सं0 44/2017 धारा 354(क),/506 भा0द0वि0 व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना महुली जनपद संतकबीरनगर से संबंधित अभियुक्त हरेन्द्र पुत्र मुन्नर निवासी ठाठर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को अन्तर्गत धारा धारा-7/8 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का साधारण कारावास से भुगतना होगा तथा धारा-506 भादवि के अंतर्गत 01 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी।

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे *"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्ता को धारा-60(1) आबकारी अधिनियम के अपराध में न्यायालय उठने तक का कारावास व 3000 रुपये का अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे **"ऑपरेशन कनविक्शन"** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 01.05.2025 को ***माननीय न्यायालय सीजे (एसडी) फीटीसी/ एसीजेएम जनपद संतकबीरनगर*** के द्वारा 01 अभियुक्ता को न्यायालय उठने तक का कारावास व 3000 रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरणः- मु0अ0सं0 1390/2017 धारा-60(1) आबकारी अधिनियम थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर से संबंधित अभियुक्ता फूलमति को धारा-60(1) आबकारी अधिनियम के अपराध में न्यायालय उठने तक का कारावास व 3000 रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास से भुगतना होगा।

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे *"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को धारा-60(1) आबकारी अधिनियम के अपराध में न्यायालय उठने तक का कारावास व 1000 रुपये का अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे **"ऑपरेशन कनविक्शन"** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 01.05.2025 को ***माननीय न्यायालय सीजे (एसडी) फीटीसी/ एसीजेएम जनपद संतकबीरनगर*** के द्वारा 01 अभियुक्ता को न्यायालय उठने तक का कारावास व 1000 रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरणः- मु0अ0सं0 208/2020 धारा-60(1) आबकारी अधिनियम थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर से संबंधित अभियुक्त बाबूलाल पुत्र जियाऊ निषाद निवासी कोनी थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर को धारा-60(1) आबकारी अधिनियम के अपराध में न्यायालय उठने तक का कारावास व 1000 रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का साधारण कारावास से भुगतना होगा।